बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–65 / 2016 4718 / कृ0, पटना दिनांक 09-11-,2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) का भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान लागत अन्तर्गत् केन्द्रांश 2500.00 लाख रूपये एवं समानुपातिक राज्यांश 1666.68 लाख रूपये के साथ राज्यांश मद् से अतिरिक्त अनुदान 2299.82 लाख रूपये कुल 6466.50 लाख रूपये (चौसठ करोड़ छियासठ लाख पचास हजार रूपये) की योजना कार्यान्वयन के लिए राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : **स्वीकृत।**

निदेशानुसार, केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) का भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान लागत अन्तर्गत् केन्द्रांश 2500.00 लाख रूपये एवं समानुपातिक राज्यांश 1666.68 लाख रूपये के साथ राज्यांश मद् से अतिरिक्त अनुदान 2299.82 लाख रूपये कुल 6466.50 लाख रूपये (चौसठ करोड़ छियासठ लाख पचास हजार रूपये) की योजना कार्यान्वयन के लिए राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. किसान द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर जल के अपव्यय को रोका जा सकता है। जिससे उत्पादन लागत में कमी आयेगी। साथ ही कृषि उत्पाद के गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी जिससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। योजनान्तर्गत् लाभुकों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ करते हुए ऑन लाईन किये जाने का प्रयास किया जायेगा, तथा लाभुकों की सूची को ऑन लाईन किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन का गहन अनुश्रवण किया जायेगा, पंजीकृत सूक्ष्म सिंचाई कम्पनी से प्रत्येक जिले में After Sale Service की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाएगा। भौतिक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है।

3. प्रस्तुत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2016–17 में किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम अनुसूची – I पर संलग्न है। भौतिक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है। **भारत सरकार से राशि विमुक्ति के पश्चात राशि का आवंटनादेश निर्गत करने एवं राशि निकासी करने की कार्रवाई की जायेगी।**

4. योजना के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश के अनुरूप है। भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान एवं राज्य सरकार के बीच सहायतानुदान का सहभागिता स्वरूप का अनुपात 60 : 40 दिया जाना है। ड्रीप एवं स्प्रींकलर के लिए भारत सरकार द्वारा संसूचित इकाई दर के आधार पर ही अनुदान अनुमान्य होंगे।

5. संसूचित इकाई दर निम्नाकिंत है :–

घटक	**कृषकों की श्रेणी**	**मार्गदर्शिका के अनुसार औसत इकाई दर (प्रति हे0) (राशि रूपये में)**
ड्रीप सिंचाई पद्दति (Wide spaced crop)	**लघु एवं सीमान्त**	
	8m & above	23,500
	4m to <8m	33,900
	2m to <4m	58,400
	अन्य	

E:\ABHINAV\2016-17\PMKSY (Horticulture) 6466.56 lakh.docx